न्यायालयः—पलक श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अजयगढ, जिला—पन्ना (म.प्र.)

Registration No-	RCT	528/2022
Filing No-		647/2022
C.N.R. No-		MP-35050006842022
Filing Date-		09-11-2022

म. प्र. राज्य द्वारा थाना प्रभारी अजयगढ़,
जिला पन्ना (म0प्र0) — **अभियोजन**

—:: **बनाम** ::—

बीचंद्र पिता छोटेलाल कोंदर, उम्र 32 वर्ष,
निवासी—भापतपुर कुर्मियान, थाना—अजयगढ़,
जिला—पन्ना (म.प्र.)

— **अभियुक्त**

पुलिस थाना अजयगढ़, तहसील—अजयगढ़, जिला—पन्ना म.प्र. के अपराध क्रमांक 529/2022 अपराध अंतर्गत धारा 34 (1) (क) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 से उद्भूत प्रकरण ।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक—09.11.2022 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त बीरचंद्र कोंदर के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि वह घटना दिनांक — 1 16. 10.2022 को दिन के लगभग 3:30 बजे, स्थान, डुंगरहो तिराहा ग्राम सब्दुआ, थाना—अजयगढ़, जिला—पन्ना (म.प्र.) में अवैध रूप से बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के हाथ भट्टी की बनी महुआ की 5 लीटर कच्ची शराब रखे पाया गया।

02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अभियोजित अपराध को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया गया।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—16.10.2022 को पुलिस चौकी हनुमतपुर में पदस्थ उपनिरीक्षक भानूप्रताप सिंह को दौरान देहात भ्रमण जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम एक व्यक्ति डुंगरहो तिराहा के पास ग्राम सब्दुआ में एक प्लास्टिक की पिकिया में कच्ची शराब लिये विक्री हेतु खडा है। मुखबिर सूचना पर

विश्वास कर पंचानों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर मुखबिर द्व ारा बताये स्थान पर पहुॅचे, वहां जाकर देखा, तो एक व्यक्ति दांये हाथ की सफेद पिकिया लिये खडा है दिखा, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे जिसको घ ेरा बंदी कर पकडा गया। नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम बीरचंद्र पिता छोटेलाल कोंदर, उम्र 32 वर्ष, निवासी भापतपुर कुर्मियान, थाना अजयगढ का होना बताया व पिकिया को खोलकर देखने पर उसमें हाथ भट्टकी की बनी महुआ की 5 लीटर शराब मिलने पर उक्त व्यक्ति से विधिवत् जप्त की गयी। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से अभियुक्त को धारा 41 क द.प्र.स. का नोटिस दिया। जप्ती माल सहित थाना लाकर अप.क्रं. –522/2022 पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अन्य विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियोग पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के अवलोकन उपरांत अभियुक्त पर अपराध विवरण निर्मित किया गया। अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया, स्वीकार किया है। अभियुक्त का अभिवाक यथासंभव उसी के शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक – 1 16.10.2022 को दिन के लगभग 3:30 बजे, स्थान, डुंगरहो तिराहा ग्राम सब्दुआ, थाना–अजयगढ़, जिला–पन्ना (म.प्र.) में अवैध रूप से बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के हाथ भट्टी की बनी महुआ की 5 लीटर कच्ची शराब रखे पाया गया ?

:: सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष ::

06. अभियोग पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के अवलोकन उपरांत अभियुक्त पर अपराध विवरण निर्मित किया गया। अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया, स्वीकार किया है। अभियुक्त का अभिवाक यथासंभव उसी के शब्दों में लेखबद्ध किया गया। प्रकरण में संलग्न अभियोजन के दस्तावेजों से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है तथा उक्त सभी तथ्य अभियोजन के मामले को सत्यता प्रदान करते हैं। अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति स्वेच्छया, स्वविवेक अनुसार की गई हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वह अपराध की प्रकृति एवं परिस्थिति को तथा दंड की मात्रा एवं परिणाम को भली भांति समझता है, इस कारण अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धी एवं दंडादेश पारित किया जा सकता है।

07. अतः अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति एवं अभियोग पत्र के साथ

संलग्न प्रपत्रों के आधार पर यह प्रमाणित है, कि अभियुक्त पर प्रश्नगत घटना, दिनांक, समय, स्थान पर अपने आधिपत्य में जप्तशुदा शराब रखे जाने के संबंध मे वैध अनुज्ञा पत्र उपलब्ध नहीं था। परिणामतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

08. दंड के संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत अभिलेख से यह प्रकट है, कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियो में पूर्व दोष सिद्धी के प्रमाण के अभाव को देखते हुये अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं रूपये 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि के व्यतिक्रम में अभियुक्त को पृथक से 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

09. प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की पिकिया में हाथ भट्टी की बनी महुआ की 5 लीटर कच्ची शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

PALAK SHRIVASTAVA
Digitally signed by PALAK SHRIVASTAVA
Date: 2022.11.09 18:25:21 +0530

दिनांक – 09.11.2022 (पलक श्रीवास्तव)
स्थान – अजयगढ, जिला–पन्ना (म.प्र.) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अजयगढ, जिला–पन्ना (म.प्र.)